रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2007/वैशाख 5, 1929
No. 468] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2007/VAISAKHA 5, 1929

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2007

का.आ. 646(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री आई. जी. खंडेलवाल, राष्ट्रीय महासंचिव, सावधान, भायंडर (प.) थाणे द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन 10 संसद् सदस्यों, अर्थात् (1) श्रीमती सोनिया गांधी, (2) डा. करण सिंह, (3) श्री संतोष गंगवार, (4) श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, (5) श्री मोहम्मद सलीम, (6) श्री हन्नान मोल्लाह, (7) श्री अमिताव नंदी, (8) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, (9) श्रीमती जया बच्चन और (10) श्री अमर सिंह की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 24 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 31 मार्च, 2006 के एक निर्देश द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या ऊपर उल्लिखित 10 संसद् सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और आयोग ने (1) श्रीमती सोनिया गांधी, (2) डा. करण सिंह, (3) श्री मोहम्मद सलीम, (4) श्री हन्नान मोल्लाह, (5) श्री अमिताव नंदी, (6) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, (7) श्रीमती जया बच्चन और (8) श्री अमर सिंह के संबंध में अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय पहले ही दे दी है;

और निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी के संबंध में राय को बाद में अंतिम रुप दिया जाएगा क्योंकि उसके मामले में आयोग द्वारा अभी जांच चल रही है;

और अब निर्वाचन आयोग ने श्री संतोष गंगवार की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय दे दी है जो मई, 2004 में आयोजित साधारण निर्वाचन में 8-बरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित किया गया था;

और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री संतोष गंगवार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के शासी निकाय के अध्यक्ष का पद धारण कर रहा था जो सरकार के अधीन एक लाभ का पद है और उसने इस पद को उसके द्वारा धारण करने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है;

और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि श्री संतोष गंगवार संसद सदस्य के रुप में अपनी हैसियत में 9 अगस्त, 1991 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी और इसके शासी निकाय का सदस्य था, जो मई, 2004 में 14वीं लोक सभा के लिए उसके निर्वाचन के काफी समय पहले की अवधि है;

और निर्वाचन आयोग ने यह और नोट किया है कि याचिका में यह अभिकथन कि श्री संतोष गंगवार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष का पद धारण कर रहा था गलत साबित हो गया है और तथ्यों का सत्यापन किए बिना किया गया था और वह न तो उसके निर्वाचन के समय उक्त पद धारण कर रहा था और न ही 14वीं लोक सभा के लिए उसके निर्वाचन के पश्चात्;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि याचिका भ्रामक है और याचिका में उल्लिखित आधारों पर श्री संतोष गंगवार की निरर्हता का प्रश्न ही नहीं उठता;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, यह अभिनिर्धारित करता हूं कि ऊपर उल्लिखित याचिका भ्रामक है और याचिका में उल्लिखित आधारों पर श्री संतोष गंगवार, संसद् सदस्य की निरर्हता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

10 अप्रैल, 2007

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं एच-11026(5)/2007-वि. II]

डा. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2006 का निर्देश मामला सं. 36

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता ।

राय

संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 31 मार्च, 2006 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था जिसमें संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद के संबद्ध सदन के सदस्य होने के लिए दस संसद सदस्यों, अर्थात् (1) श्रीमती सोनिया गांधी, संसद सदस्य (लोक सभा), (2) डा. करण सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा), (3) श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य (लोक सभा) (4) श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, संसद सदस्य, (लोक सभा), (5) श्री मोहम्मद सलीम, संसद सदस्य (लोक सभा), (6) श्री हन्नान मोल्लाह, संसद सदस्य (लोक सभा), (7) श्री अमिताव नंदी, (जिसका नाम गलती से अमृता नंदी उल्लिखित है), संसद सदस्य, (लोक सभा), (8) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, संसद सदस्य, (लोक सभा), (9) श्रीमती जया बच्चन, संसद सदस्य (राज्य सभा) और (10) श्री अमर सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निर्रहता के प्रश्न पर आयोग की राय मांगी गई थी ।

2. पूर्वाक्त दस व्यक्तियों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री आई.जी. खंडेलवाल, राष्ट्रीय महासचिव , सावधान, भायंडर (प.), थाणे द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 24 मार्च, 2006 की याचिका में उठाया गया था । याचिका में उल्लिखित दस संसद सदस्यों में से (1) श्रीमती सोनिया गांधी, संसद सदस्य (लोक सभा), (2) डा. करण सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) , (3) श्री मोहम्मद सलीम, संसद सदस्य (लोक सभा), (4) श्री हन्नान मोल्लाह, संसद सदस्य (लोक सभा), (5) श्री अमिताव नंदी, संसद सदस्य, (लोक सभा), (6) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, संसद सदस्य (लोक सभा), (7) श्रीमती जया बच्चन, संसद सदस्य (राज्य सभा), और (8) श्री अमर सिंह, संसद सदस्य

(राज्य सभा) के संबंध में अपनी राय पहले ही दे दी है ।

3. श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी के संबंध में राय को बाद में अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि उसके मामले में आयोग द्वारा अभी जांच चल रही है ।

4. वर्तमान राय श्री संतोष गंगवार (याचिका में एक प्रत्यर्थी) की निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है जो मई, 2004 में आयोजित वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन में 8-बरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित किया गया था । श्री संतोष गंगवार (प्रत्यर्थी) से संबंधित याचिका में यह अभिकथन था कि वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष का पद धारण कर रहा था । याची ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित ऊपर उल्लिखित पद लाभ का पद है और प्रत्यर्थी ने इस पद को धारण करने के कारण अनुच्छेद 102 (1)(क) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है ।

5. तथापि, श्री खंडेलवाल की याचिका के साथ उसकी इस दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं लगा हुआ था कि वह पद जिस पर प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया था सरकार के अधीन एक लाभ का पद था । याचिका में निर्दिष्ट पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख के संबंध में कोई आधारिक जानकारी भी याचिका में अंतर्विष्ट नहीं थी । किसी पद पर किसी सदस्य की नियुक्ति की तारीख इस बात को अवधारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या कोई मामला अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुस्थापित है [देखिए निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201); बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892); निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609)] कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ही जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया जाता है । इसलिए आयोग की तारीख 21 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा याची को 5 मई, 2006 तक अपेक्षित विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

6. तारीख 21.4.06 की सूचना के उत्तर में याची ने यह कथन करते हुए तारीख 10.5.06 का एक पत्र प्रस्तुत किया कि उसे सुसंगत सामग्री एकत्रित करने के लिए कम से कम तीन मास की

अवधि अपेक्षित होगी और इसलिए अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तीन मास के और समय के लिए अनुरोध किया । आयोग ने इस अनुरोध पर विचार किया और याची को 22.06.2006 तक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । तथापि, याची ने कोई दस्तावेज या किसी प्रकार का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया । आयोग ने याची को एक और अवसर प्रदान करने का विनिश्चय किया और तारीख 14.8.2006 के पत्र द्वारा उसे 04.09.2006 तक अपेक्षित आधारिक ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा । तथापि, याची ने आयोग के तारीख 14.08.2006 के पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया ।

7. चूंकि याची, उक्त पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी और उसे प्रोद्भूत लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए असमर्थ था । इसलिए आयोग ने अनुच्छेद 103(2) के अधीन उसे निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए समर्थ बनाने हेतु भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से सुसंगत जानकारी अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदनुसार आयोग ने 6 अक्तूबर, 2006 के पत्र द्वारा सुसंगत जानकारी तारीख 31.10.2006 तक प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया ।

8. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने तारीख 19.10.2006 को एक उत्तर प्रस्तुत किया जिसके साथ अन्य बातों के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी के निर्वाचन से संबधित लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए तारीख 30.8.1991 के कार्यालय ज्ञापन, सोसाइटी के सदस्यों के निबंधनों को विनिर्दिष्ट करने वाले तारीख 17.10.1991 के कार्यालय आदेश और सोसाइटी के शासी निकाय के सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी के नाम निर्देशन करने वाले तारीख 09.1.1992 के कार्यालय आदेश और इसकी उपविधियों में से प्रत्येक की एक एक प्रति संलग्न की । कृषि मंत्रालय ने यह और सूचित किया कि कृषि मंत्रालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी के सभापति हैं और यह कि ऐसा कोई कृतकारी नहीं है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में जाना जाए । उन्होंने यह और कथन किया कि श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य के रूप में अपनी हैसियत में 09.08.1991 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी और उसके शासी निकाय का सदस्य था ।

9. जैसाकि ऊपर पैरा 4 में पहले ही नोट किया गया है कि श्री संतोष गंगवार की लोक सभा में

वर्तमान सदस्यता 8-रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मई 2004 में आयोजित लोक सभा के साधारण निर्वाचन में उस सदन के लिए उसके निर्वाचन के आधार पर है । इस प्रकार वर्तमान याचिका में उठाया गया प्रश्न जहां तक उसका संबंध भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी के सदस्य के पद (यद्यपि याची ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष के रूप में प्रत्यर्थी का उल्लेख किया है) से है, 1991 से 1994 अर्थात् मई, 2004 में 14वीं लोक सभा के उसके निर्वाचन से काफी समय पूर्व की अवधि से संबंध रखता है ।

10. जैसा कि ऊपर कथन किया गया है यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन संसद के आसीन सदस्य की निरर्हता का प्रश्न विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल ऐसी निरर्हता के मामले में ही उद्भूत होती है जो उसने संसद के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के पश्चात् उपगत की है । संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किए जाने पर अभिकथित निर्रहता के ऐसे प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकारिता केवल ऐसी निर्वाचन पश्चात् निरर्हता के मामले में भी उद्भूत होती है ।

11. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिका में यह अभिकथन कि प्रत्यर्थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्य का पद धारण कर रहा था, गलत साबित हो गया है और तथ्यों का सत्यापन किए बिना किया गया है । प्रत्यर्थी न तो उसके निर्वाचन के समय उक्त पद धारण कर रहा था और न ही 14वीं लोक सभा के लिए उसके निर्वाचन के पश्चात् । इसलिए इस अभिकथन के संबंध में और कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

12. तदनुसार, निर्देश को आयोग की इस राय के साथ वापिस भेजा जाता है कि याचिका भ्रामक है और याचिका में उल्लिखित आधारों पर श्री संतोष गंगवार की निर्रहता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई. कुरेशी)	**(एन. गोपालस्वामी)**	**(नवीन बी. चावला)**
निर्वाचन आयुक्त	**मुख्य निर्वाचन आयुक्त**	**निर्वाचन आयुक्त**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 9 फरवरी, 2007

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2007

S.O. 646(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition dated the 24th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of 10 Members of Parliament, namely, (1) Smt. Sonia Gandhi, (2) Dr. Karan Singh, (3) Shri Santosh Gangwar, (4) Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki, (5) Shri Mohammed Salim, (6) Shri Hannan Mollah, (7) Shri Amitava Nandy, (8) Shri Swadesh Chakraborty, (9) Smt. Jaya Bachchan and (10) Shri Amar Singh, under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri I.G. Khandelwal, National General Secretary, SAVDHAN, Bhayandar (W), Thane;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 31st March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether the above-mentioned 10 Members of Parliament have become subject to disqualification for being a Member of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has already tendered its opinion on the question of alleged disqualification with regard to (1) Smt. Sonia Gandhi, (2) Dr. Karan Singh, (3) Shri Mohammed Salim, (4) Shri Hannan Mollah, (5) Shri Amitava Nandy, (6) Shri Swadesh Chakraborty, (7) Smt. Jaya Bachchan and (8) Shri Amar Singh;

And whereas the Election Commission has stated that the opinion in respect of Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki will be finalized subsequently, as his case is still under enquiry by the Commission;

And whereas the Election Commission has now tendered its opinion on the question of alleged disqualification of Shri Santosh Gangwar, who was elected to the Lok Sabha from 8-Bareilley Parliamentary Constituency at the general election held in May, 2004;

And whereas the said petitioner has averred that Shri Santosh Gangwar was holding the office of the Chairman, Governing Body of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), which is an office of profit under the Government and he has incurred disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution on account of his holding this office.

And whereas the Election Commission has noted that Shri Santosh Gangwar was a Member of Indian Council of Agricultural Research Society and its governing body for a period of three years from the 9th August, 1991 in his capacity as a Member of Parliament, which is much prior to his election to the 14th Lok Sabha in May, 2004;

And whereas the Election Commission has further noted that the allegation in the petition that Shri Santosh Gangwar was holding the office of the Chairman of Indian Council of Agriculture Research is proved to be wrong and made without verification of facts and he was neither holding the said office at the time of his election nor after his election to the 14th Lok Sabha;

And whereas the Election Commission has rendered its opinion (*vide* Annex) that the petition is misconceived and the question of disqualification of Shri Santosh Gangwar on the grounds mentioned in the petition does not arise;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, do hereby hold that the above-mentioned petition is misconceived and the question of disqualification of Shri Santosh Gangwar, Member of Parliament on the grounds mentioned in the petition does not arise.

10th April, 2007

President of India

[F. No. H-11026(5)/2007-Leg. II]

Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEX

NIRVACHAN SADAN

Election Commission of India ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

Reference Case No. 36 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

In *re:*
Alleged disqualification of Shri Santosh Gangwar, Member of Parliament (Lok Sabha), under Article 102 (1) (a) of the Constitution

OPINION

A reference dated 31st March, 2006 was received from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question of alleged disqualification of ten MPs, viz, (1) Smt. Sonia Gandhi, MP (Lok Sabha), (2) Dr.Karan Singh, MP (Rajya Sabha), (3) Shri Santosh Gangwar, MP (Lok Sabha), (4) Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki, MP (Lok Sabha), (5) Shri Mohammed Salim, MP (Lok Sabha), (6) Shri Hannan Mollah, MP (Lok Sabha), (7) Shri Amitava Nandy, (name wrongly mentioned as Amrita Nandy), MP (Lok Sabha), (8) Shri Swadesh Chakraborty, MP (Lok Sabha), (9) Smt. Jaya Bachchan, MP (Rajya Sabha), and (10) Sh. Amar Singh, MP (Rajya Sabha), for being Members of the House concerned of the Parliament under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of aforesaid ten persons was raised in a petition dated 24th March, 2006, submitted to the President by Sh. I. G.

2209 GI/07-3

Khandelwal, National General Secretary, SAVDHAN, Bhayandar (W), Thane. Out of the ten MPs mentioned in the petition, the Commission has already tendered its opinions with regard to (1) Smt. Sonia Gandhi, MP (Lok Sabha), (2) Dr.Karan Singh, MP (Rajya Sabha), (3) Shri Mohammed Salim, MP (Lok Sabha), (4) Shri Hannan Mollah, MP (Lok Sabha), (5) Shri Amitava Nandy, MP (Lok Sabha), (6) Shri Swadesh Chakraborty, MP (Lok Sabha), (7) Smt. Jaya Bachchan, MP (Rajya Sabha), and (8) Shri. Amar Singh, MP (Rajya Sabha).

3. The opinion in respect of Shri Bhupendra Sinh Prabhat Sinh Solanki will be finalized subsequently, as his case is still under enquiry by the Commission.

4. The present opinion relates to the question of alleged disqualification of Shri Santosh Gangwar (one of the respondents in the petition), who was elected to the Lok Sabha from 8-Bareilly Parliamentary Constituency at the general election to the current House of the People, held in May 2004. The allegation in the petition with regard to Shri Santosh Gangwar(respondent) was that he was holding the office of the Chairman, Governing Body of Indian Council of Agricultural Research. The petitioner contented that the above mentioned office held by the respondent is an office of profit under the Government and the respondent has incurred disqualification under Article 102 (1) (a) on account of his holding this office.

5. The petition of Shri Khandelwal was, however, not accompanied by any document to support his contention that the office to which the respondent had been appointed was an office of profit under the Government. The petition did not even contain the basic information about the date of appointment of the respondent to the office referred to in the petition. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the

President to decide in terms of Article 103 (1). It is well settled by catena of decisions of the Supreme Court {See Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609)} that under Article 103 of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members. The petitioner was, therefore, asked to furnish, by 5th May, 2006, specific information in that regard, vide the Commission's Notice dated 21st April, 2006.

6 In reply to the notice dated 21.4.06, the petitioner submitted a letter dated 10.5.06, stating that he would require a minimum period of three months to collect the relevant material, and, therefore, requested for further time of three months to furnish the requisite details. The Commission considered this request and asked the petitioner to submit the requisite information/documents by 22.06.2006. However, the petitioner did not submit any document or reply whatsoever. The Commission decided to afford another opportunity to the petitioner, and vide letter dated 14.8.2006, asked him to furnish the requisite basic details latest by 04.09.2006. The petitioner, however, did not submit any reply to the Commission's letter dated 14.08.2006.

7. As the petitioner was not able to furnish specific information about the date of appointment of the respondent to the said office and other details about the profit, if any, accruing to him, the Commission decided to obtain the relevant information from the Ministry of Agriculture, Government of India, to enable it to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103(2). Accordingly, vide letter dated 6th October 2006, the Commission requested the Ministry of Agriculture, Government of India to furnish the relevant information by 31.10.2006.

2209.GI/07-4

8. The Ministry of Agriculture, Government of India submitted a reply on 19.10.2006, enclosing, *inter-alia*, copy each of the Office Memorandum dated 30.8.1991 issued by Lok Sabha Secretariat relating to the election of the respondent as a member of the Indian Council of Agricultural Research Society , Office Order dated 17.10.1991 specifying the terms of the members of the Society and the Office Order dated 09.1.1992 nominating the respondent as the member of the governing body of the Society and its by laws. The Ministry of Agriculture further informed that the Minister of Agriculture is the President of the Indian Council of Agricultural Research Society and that there is no functionary called Chairman of the Indian Council of Agriculture Society. They added that Shri Santosh Gangwar was a member of the ICAR Society and its governing body for a period of three years from 09.08.1991 in his capacity as a Member of Parliament.

9. As already noted in paragraph 4 above, Shri Santosh Gangwar's current membership in the Lok Sabha is on the basis of his election to that House at the general election to Lok Sabha held in May, 2004 from 8-Bareilly Parliamentary Constituency. Thus, the question raised in the present petition so far as it relates to the office of the Member of the ICAR Society (although the petitioner has mentioned the respondent's office as the Chairman of ICAR), pertains to the period 1991 to 1994, i.e. much prior to his election to the 14th Lok Sabha in May, 2004.

10. As stated above, it is well settled that under Article 103(1) of the Constitution of India, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting Member of Parliament arises only in the case of disqualification, which he incurred after his election as a member of the House. The jurisdiction of the Election Commission to enquire into such question of alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article

103(2) of the Constitution, also arises only in case of such post election disqualification.

11. In view of the above facts, the allegations in the petition that the respondent was holding the office of the Chairman of the ICAR is proved to be wrong and made without verification of facts. The respondent was neither holding the said office at the time of his election nor after his election to the 14th Lok Sabha. Therefore, there is no need for any further consideration of this allegation.

12. Accordingly the reference is returned with the Commission's opinion that the petition is misconceived and the question of disqualification of Shri Santosh Gangwar on the grounds mentioned in the petition, does not arise.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(S.Y.Quraishi)	**(N.Gopalaswami)**	**(Navin B.Chawla)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi
Dated: 9th February, 2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.